न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी जिला करौली

मुकदमा नं0 :– 212/2024 तारीख रजू :–09.10.2024

पीठासीन अधिकारी – हेमराज गुर्जर
R.A.S.

रफीक अली व अन्य बनाम अब्दुल अबरार व अन्य

दावा बाबत घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती, घोषित करने नल एण्ड बोईड, प्रभावहीन व शून्य दान–पत्र, हकत्याग व नामान्तकरण व स्थायी निषेधाज्ञा में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी

उपस्थितः–1.श्री अशोक नीमनका एडवोकेट प्रार्थीगण/प्रतिवादी सं01ता 3, 5
2.श्री राधेश्याम शर्मा एडवोकेट अप्रार्थीगण/ वादीगण

निर्णय

दिंनाक :– 05.08.2025

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वकील प्रार्थीगण/ प्रतिवादी सं01 ता 3 व 5 ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि वादीगण द्वारा उक्त उनवानी वाद आराजीयात खसरा नम्बर 6928, 6927 स्थित कस्बा हिण्डौन के बाबत् प्रतिवादीगण के हक में तकमील तस्दीक किये गये रजिस्टर्ड दान पत्र एवं हकत्याग को नल एण्ड बोईड घोषित कराने का प्रतिवादीगण के खिलाफ प्रस्तुत किया है, उक्त दोनो ही दस्तावेज रजिस्टर्ड दस्तावेज हैं, जिन्हें नल एण्ड बोईड घोषित करने का अधिकार सिविल न्यायालय को प्राप्त है ना कि राजस्व न्यायालय को, इसलिए वाद वादी ऑर्डर 07 रूल 11 सीपीसी के प्रावधानों के तहत रिजेक्ट फरमाये जाने योग्य है।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 2 में दर्ज किया है कि वादीगण द्वारा उक्त वाद तथाकथित वसीयत तारीखी 19.01.1976 के आधार पर प्रस्तुत किया

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

है जबकि वसीयतकर्ता का स्वर्गवास भी 40 सों साल पूर्व हो चुका है साथ ही मौके पर वादीगण का कोई कब्जा काश्त नहीं है। इसलिए वाद वादी म्याद बाहर होना भली प्रकार साबित है, इसलिए वाद वादी रिजेक्ट फरमाया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है।

अतः वाद वादी रिजेक्ट फरमाने का निवेदन किया है।

वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकुलाय फरीकेन की प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी पर दिनांक 31.07.2025 को बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण/प्रतिवादी सं01 ता 3 व 5 ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर दावा अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी के तहत रिजेक्ट फरमाया जावे।

इसके विपरीत वकील अप्रार्थीगण/वादीगण ने दौराने बहस अवगत कराया है कि वादीगण ने अपने वाद पत्र बाबत घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती, घोषित करने नल एण्ड बोईड, प्रभावहीन व शून्य दान–पत्र, हकत्याग व नामान्तकरण व स्थायी निषेधाज्ञा की रिलीफ चाही गई है। जिसकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार श्रीमान् न्यायालय हाजा को प्राप्त है। सिविल न्यायालय को रस्टिर्ड दस्तावेज को केन्सिल करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि तथाकथित वाद वसीयत तारीखी 19.01.1976 के आधार पर प्रस्तुत किया है जबकि वसीयतकर्ता का स्वर्गवास 40 सों साल पूर्व हो चुका है साथ ही मौके पर कब्जा काश्त वादीगण का नहीं है तो इसके सम्बन्ध में निवेदन है कि वसीयत के आधार पर कोई भी व्यक्ति कभी भी अपने हक के लिए वाद ला सकता है। इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी खारिज फरमाया जावे।

वकुलाय फरीकेन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। वादीगण के द्वारा उक्त वाद रजिस्टर्ड

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

वसीयत के आधार पर घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती दान पत्र, हक त्याग, को नल एण्ड बोईड, प्रभावहीन व शून्य घोषित कराने तथा नामान्तकरण को निरस्त कराने एवं स्थायी निषेधाज्ञा की रिलीफ चाही गई है। रजिस्टर्ड दस्तावेज को कैन्सिल करने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नहीं है बल्कि रजिस्टर्ड दस्तावेज को कैन्सिल करने का क्षेत्राधिकार माननीय सिविल न्यायालय को प्राप्त है। इसलिए वादीगण का वाद आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार कर आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी के प्रावधानों तहत रिजेक्ट किया जाकर खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। ऐसे हालात में प्रार्थीगण/ प्रतिवादी सं01 ता 3 व 5 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार योग्य न्यायोचित है।

अतः प्रार्थीगण/ प्रतिवादी सं0 1 ता 3 व 5 का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वादीगण का मुकदमा नं0 212/2024 उनवानी रफीक अली व अन्य बनाम अब्दुल अबरार व अन्य दावा बाबत् घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती, घोषित करने नल एण्ड बोईड, प्रभावहीन व शून्य दान–पत्र, हकत्याग व नामान्तकरण व स्थायी निषेधाज्ञा को अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी के प्रावधानों के तहत रिजेक्ट किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिंनाक 05.08.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर) 5/8/25
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली